तत्काल/शीर्ष प्राथमिकता/ई-मेल
संख्या 4059/नौ 7 2017—56जनरल/17

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1— निदेशक,
स्थानीय निकाय,उ0प्र0।

2— समस्त नगर आयुक्त,
नगर निगम, उ0प्र0।

3— समस्त अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0।

नगर विकास अनुभाग—7 लखनऊः दिनाँकः 14 नवम्बर, 2017

विषयः— **नागर निकायों के अन्तर्गत वायु प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति से बचाव के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि नागर निकायों के कई क्षेत्रों में एकत्रित कूड़े को जलाया जा रहा है जबकि इस संबंध में शासन द्वारा पूर्व मे भी पूर्ण प्रतिबन्ध के आदेश निर्गत किये गये है। विषयगत प्रकरण में मा0 न्यायालय व मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के भी प्रतिबन्ध के आदेश हैं।

2- उक्त परिप्रेक्ष्य में अवगत कराना है कि नागर निकायों के अन्तर्गत निम्न कार्यवाही तत्परतापूर्वक किया जाना आवश्यक है:-

1) नागर निकायों के अन्तर्गत एकत्रित कूड़े को किसी भी दशा में न जलाया जाय।

2) जो कूड़ा कम्पोस्टेबल हो, उसका कम्पोस्ट बनाया जाये तथा जो कूड़ा रिसाइकिलेबुल हो उसे उचित व्यवस्था कर रिसाइकिल किया जाये। उक्त प्रकार से एकत्रित कूड़े का समुचित निस्तारण सुनिश्चित किया जाये।

3) नागर निकाय क्षेत्रों में निर्माण कार्य (भवन आदि) पूर्ण रूप से वैरीकेडिंग व स्क्रीनिंग करने के उपरान्त ही सुनिश्चित किया जाय।

4) नगर निगमों में सड़कों की सफाई रोड स्वीपिंग मशीन के माध्यम से कराया जाय तथा आवश्यकतानुसार जल छिड़काव भी किया जाय।

3— इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयगत प्रकरण में समस्त नगर निगमों के जोनल अधिकारीएवं नगर पालिका परिषदों के सेनेटरी इन्सपेक्टर तथा नगर पंचायतों के

अधिशासी अधिकारी अपने—अपने क्षेत्र के समस्त सफाई सुपरवाइजर व सफाई कर्मी को उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु जिम्मेदार होगें।

4- उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित न होने की स्थिति में संबंधित नागर निकायों के जोनल अधिकारी / सफाई निरीक्षक एवं अधिशासी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें। आदेशों का अनुपालन न किये जाने पर शासन द्वारा संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्व कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

14.11.17

(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या–4059(1) / नौ–7–2017–56जनरल / 17

उपर्युक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2— समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3— निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति अपने स्तर से भी समस्त नागर निकायों को प्रसारित कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(राम निवास)
विशेष सचिव।